

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax: 0612-2215994

(Email=bsmfclpatna-bih@gov.in, website: www.bsmfc.org)

(CIN No.-U65110BR 1984SGC 001964)

संख्या:-----/बी०एस०एम०एफ०सी०,/

पटना, दिनांक: -----

ऋण चुकता प्रमाण पत्र

फरीदा खातून, पति-मो० रफीक अंसारी, पता-मकान न०-42, मोहल्ला, ऑफिसर कॉलोनी, पो०-खगौल, जिला-पटना को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के टर्मलोन योजनान्तर्गत जेनरल स्टोर ट्रेड में दिनांक-27.05.2015 को 42,500/- (बयालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र ऋण राशि के रूप में उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके विरुद्ध मूलधन सूद सहित अवशेष कुल राशि 45,651/- (पैंतालीस हजार छः सौ इक्यावन रुपये) मात्र निगम को इनसे प्राप्त है। अब उनके ऋण खाता संख्या-79496 के विरुद्ध कोई बकाया नहीं रहने के कारण यह ऋण चुकता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तथा उनके ऋण खाता को बन्द किया जाता है।

ह0/

सहायक निदेशक-सह-लेखा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- फरीदा खातून, पति-मो० रफीक अंसारी, पता-मकान न०-42, मोहल्ला, ऑफिसर कॉलोनी, पो०-खगौल, जिला-पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सहायक निदेशक-सह-लेखा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-

दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। यदि फरीदा खातून द्वारा जमा किया गया राशि पी. डी. सी. में अवशेष है तो उन्हें लौटा दिया जाय तथा यदि इनके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर किया गया हो तो उसे समाप्त करने की कार्रवाई की जाय।

ह0/-

सहायक निदेशक-सह-लेखा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-

दिनांक-

प्रतिलिपि:-जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सहायक निदेशक-सह-लेखा पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 781

दिनांक- 11-3-2022

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/13/22

सहायक निदेशक-सह-लेखा पदाधिकारी